

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान

कोविड-19 अति आवश्यक

दिनांक: 11-6-2020

क्रमांक कोरोना/2020/660

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :-कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत
Insurance scheme for health workers fighting covid-19 का क्लेम बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत Insurance scheme for health workers fighting covid-19 का क्लेम हेतु भारत सरकार द्वारा प्रावधान किया गया है। इस क्रम में लेख है कि आपके अधीन कार्यरत चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी की कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी की निम्न सूचना आप द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापित कर अविलम्ब भिजवाने का श्रम करें ताकि प्रकरण में समय रहते कार्यवाही किया जाना सम्भव हो :-

1. Original Claim Form No. 1
2. Original Claim form No. 2
3. ID Proof of deceased.
4. ID Proof of claimant. (as per Service record of deceased)
5. Proof of relationship of deceased & claimant.
6. Copy of PMR and FIR.
7. Original death certificate.
8. Copy of duty deployment in covid-19 and appointment letter.
9. Death Summary by the concerned Hospital.

चिकित्सा अधिकारी/कर्मचारी की कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उपरोक्त सूचना में विलम्ब के लिये आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक:

क्रमांक कोरोना/2020/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) मुख्यालय।
3. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वास्थ्य) मुख्यालय।
4. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी, रा.चि., सीएचसी, पीएचपी एवं एमसीडब्ल्यूसी सेन्टर राजस्थान।
7. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल करने वास्ते।
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।